

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 627 सन 2022

अनवान :-

1. सुनील कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा 10 एसपीएम टी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. वियजपाल पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा 10 एसपीएम टी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा 10 एसपीएम टी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
2. कैलाश पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा 10 एसपीएम टी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 05/08/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 4 आसरपीएम के खाता संख्या 128/128 की कुल 5.5660हैक् में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा 10 एसपीएम टी के खाता संख्या 55/46 की कुल 1.8370हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मुखराम पुत्र गणेशाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मुखराम पुत्र गणेशाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुखराम पुत्र गणेशाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मुखराम पुत्र गणेशाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि का हक हिस्सा बराबर का है।



बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जबाब पेश किया की दादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 आसरपीएम के खाता संख्या 128/128 की कुल 5.5660 हैक् में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा 10 एसपीएम टी के खाता संख्या 55/46 की कुल 1.8370 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मुखराम पुत्र गणेशाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मुखराम पुत्र गणेशाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुखराम पुत्र गणेशाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।


प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 4 आसरपीएम के खाता संख्या 128/128 की कुल 5.5660 हैक् में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा 10 एसपीएम टी के खाता संख्या 55/46 की कुल 1.8370 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमावन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि मुखराम पुत्र गणेशाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मुखराम पुत्र गणेशाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुखराम पुत्र गणेशाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में


उपर्युक्त अधिकारी (राजस्व)
बोहर (हयुमाजगढ़)


काटी का एक हिस्सा है जहाँ काटा की समझने में तीन/चौगुले को बराबर का एक हिस्सा होना। जहाँ काट भूमि में काटी व प्रतिवाटी संख्या 1 ता 2 के एक हिस्सा की भूमि है।

काटी का कथन है कि प्रतिवाटी संख्या 2 में अपने एक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है काटी के कथनों को प्रतिवाटी संख्या 2 में स्वीकार किया जाकर एकदम देर किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि काट भूमि काटी एवं प्रतिवाटी संख्या 1 के एक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम के राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का एनफोर्स नहीं है।

काटी के काट का प्रतिवाटीपन के द्वारा स्वीकार करने एवं काटी के द्वारा प्रस्तुत संकट सक्षम एवं न्यायविक दृष्टान्तों को प्रकल्प पर चलाया जाने है कि अन्त में काट काटी संबंध होने के कारण कबिल दिखी है तथा प्रतिवाटी संख्या 2 में अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राजस्वकों की सुझा के सम्बन्ध में सक्षम सक्षु की जाती न्यायविक है।

जब काटी के काट को प्रतिवाटी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेटेन्सर काट का किसी प्रकार का एनफोर्स नहीं होने एवं काटी के द्वारा प्रस्तुत संकट सक्षम एवं न्यायविक दृष्टान्तों के अन्त में काट काटी संबंध होने के कारण दिखी किया जाकर घोषणा की जाती है कि टोटी सौजा चक्र 4 अध्यापन के धारा संख्या 128/128 की कुल 2,30,000 वर्ग मी से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवाटी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कायमजान किया जाकर काटीपन बरिब के धारण काकाका घोषित किया जाता है व टोटी सौजा 10 एकापीएन टी के धारा संख्या 88/88 की कुल 1,82,700 वर्ग भूमि कायम राजस्व रिकार्ड में काटी के धारा प्रतिवाटी संख्या 1 के नाम से दर्ज है फादाका खेती इली अनुसंध राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु इजारा धारणा पर के अन्त में 1000/- का का अन्त एकमीलन शामिल किया जाने। यदि भूमि बैंक के रहन ही तो काट रहनसुका राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाने काय काट कायकाका अन्त अन्त रहन करने। इली अन्त की पक्ष दिखी जाती की अन्त शामिल विधान की गई पक्षधारी नम्बर से कम् की अन्त काट तारीख तकमील अन्त दायित रहन ही।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2022 को भी द्वारा सिफाया जाकर बनी इजारा में सुझाया गया।


उपस्थित अधिकारी (राजस्व)
भैरव (इन्सुपेन्टर)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुनील कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा 10 एसपीएम टी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. वियजपाल पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा 10 एसपीएम टी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा 10 एसपीएम टी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
2. कैलाश पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा 10 एसपीएम टी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 627 सन 2022 निर्णय दिनांक- 05/08/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 आसरपीएम के खाता संख्या 128/128 की कुल 5.5660हैक् में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा 10 एसपीएम टी के खाता संख्या 55/46 की कुल 1.8370हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)